कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / युगलपीठ / 1164 / 2025 दि0 लखनऊः अगस्त 22, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 951 / 2025 दिनांक 26–06–2025 शंशोधित आदेश दिनांक 01–08–2025 के द्वारा जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन **दिनांक 25–08–2025 से 28–08–2025** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–5 वाराणसी एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, वाराणसी को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ–1, वाराणसी के पत्र संख्या–532 दिनांक 20–08–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य, पीठ–5, वाराणसी चिकित्सा / उपार्जित अवकाश पर चल रही हैं ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 951 / 2025 दिनांक 26–06–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद–वाराणसी में **दिनांक 25–08–2025 से 28–08–2025** तक गठित युगलपीठ, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-22.08.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 संशो0 / 1164 / 2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1,2,3,4,5 व 6, वाराणसी।
2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
3– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।